समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प, सागर

86

जवाहर सिंह वल्द बलवंत सिंह लोधी, (फौत)
निवासी ग्राम लीहर तहसील खुरई,
जिला सागर "म.प्र."

— निगरानीकर्ता

बनाम

गुलाब सिंह (फौत)

1. शेर सिंह वल्द गुलाब सींग,
2. बृजेश वल्द गुलाब सींग,
3. हल्काई वल्द बलवंत सींग,
4. शंकर सींग बल्द गुलाब सींग,
5. एहसान वल्द गुलाब सींग,
6. परसराम वल्द गुलाब सींग,
7. निहाल सींग वल्द हरप्रसाद,
8. हरिसींग वल्द हरप्रसाद,
9. घनश्याम वल्द हरप्रसाद,
10. दौलत सींग बल्द रतन सींग,
11. निर्भय सींग बल्द बलवंत सींग,
12. भगवानसींग उर्फ मुन्ना बल्द हलकाई,
13. रामेश्वर बल्द हल्काई,
14. गोविन्द सींग वल्द निर्भय सींग

सभी निवासी– ग्राम लीहर तह. खुरई,
जिला– सागर "म.प्र."

— अनावेदकगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू रा.संहिता

उपरोक्त नामांकित रिवीजनकर्ता न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर (अब पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय) के आदेश दिनांक 15/5/2007 जो उन्होंने प्रकरण क्रमांक 347-अ/27 वर्ष 2001-02 पक्षकारान् जवाहर सिंह बनाम गुलाब सिंह (फौत) शेरसींग वगैरह में पारित किया

(2)

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

C.F.

R-1294-I/07

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, कैम्प, ------

1- शिवनारायण तनय जवाहर सींग
2- परषोत्तम तनय जवाहर सींग
3- महेश तनय जवाहर सींग
4- सुहागरानी पत्नि जवाहर सींग
सभी निवासी - ग्राम - टीहर
तह० खुरई, जिला सागर — — निगरानी कर्ता

कर्ता

ग,

ब० ... सींग,

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20/11/16 के परिपालन मे संशोधन समाविष्ट (6) किया
R.B. Rawat

(3) अनावेदक क्र. 3 के स्थान पर हलकाई (मृत)
A भगवान सिंह उर्फ मुन्ना पिता हलकाई
B रामेश्वर पिता हलकाई, दोनो निवासी, ग्राम टीहर

परशराम मृत अनावेदक क्र. 6 के स्थान पर
- कल्यान सिंह पिता परशराम जोशी
- ... पिता परशराम जोशी, दोनो निवासी ग्राम टीहर, तह. खुरई जिला सागर (म.प्र.)

उपरोक्त नामांकित रिवीजनकर्ता न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर (अत्र पश्चात अधिनस्थ ...) के आदेश दिनांक 15/5/2007 जो उन्होंने प्रकरण

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1294–एक/07 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 –2–2017	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक ने इस न्यायालय में अपर आयुक्त सांगर संभाग के प्रकरण कमांक 347/अ–27/2001–02 आदेश दिनांक 15–5–2007 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण में आवेदक की ओर से रामबाबू रावत अभिभाषक उपस्थित। अनोवदकों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3/ आवेदक का तक है कि आवेदक और अनावेदकों के मध्य पैतृक भूमि के हिस्सों को लेकर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 खुरई के समक्ष व्यवहार वाद कमांक 55अ/1986 निर्णय दिनांक 22–12–87 को विवादित भूमि में से 1/5 हिस्से का मालिक घोषित किया गया, और भूमि बंटवारा कलेक्टर सागर या उसके प्रति नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाकर वादी/आवेदक को 1/5 का बटवारा कब्जा अनुसार दिया जावे। 4/ व्यवहार न्यायालय खुरई के निर्णय दिनांक 22–12–87 के पालन में कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण तहसीलदार खुरई को बंअवारा हेतु भेजा गया, जिससे तहसीलदार खुरई के प्रकरण कमांक 3/अ–27/97–98 दर्ज कर उभय पक्षों सुनवाई कर इस्तहार का प्रकाश कर पटवारी फर्द एवं पंचनामा राजस्व निरीक्षक के निर्देशन में	

तैयार कर समस्त पक्षों की मौका के फर्द बंटाक एवं भूमि कि किस्म, एवं एकचक भूमि का बटवारा फर्द लेकर बटवारा आदेश दिनांक 8–1–98 स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष प्रथम अपील प्र0कं0 2/अ/27 वर्ष 1998–99 इस आधार पर प्रस्तुत की कि अपीलार्थीगण सत्यविय केता हैं। उन्हें नहीं सुना गया। बैनामा में कय भूमि का बटवारा किया गया जिसके अपीलार्थीगण मालिक है बटवारा में कय भूमि दिलाई जावे।

5/ अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–98 को तहसीलदार खुरई को इस निर्देश के साथ वापस किया कि प्रति अपीलार्थी जवाहर के खसरा नं0 7/11 एवं 19 नया नंबर 21 व 42 में कुल मात्र 4.80 हे0 भूमि दी गई। अनुविभागीय अधिकारी खुरई के आदेश दिनांक 12–10–98 में निगरानीकर्ता को उक्त खसरा नम्बरों में से 7 हे0 एक चक भूमि देने का आदेश दिया गया जिस पर निगरानीकर्ता का पूर्व से कब्जा था और तहसीलदार खुरई द्वारा पूर्व बटवारा आदेश दिनांक 08–1–1998 में निगरानीकर्ता था कब्जे की भूमि बटवारा में दी गई थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया भूमि टृकड़ों में दी दे गई।

6/ तहसीलदार खुरई के आदेश दिनांक 8–6–99 के विरूद्ध अनावेदक गुलाबसिंह द्वारा एक अपील प्र0कं0 21/अ–27/99–2000 प्रस्तुत की उक्त अपील प्रकरण में जवाहर सिंह द्वारा आदेश दिनांक 41 नियम 22 सहपठित धारा 43 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत कष्स आपत्ति की अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रकरण में

प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8–1–98 के पालन में खसरा नं0 21 और 42 में से 7 है0 भूमि के कब्जे की दिलाई जावे साथ ही मांग की व्यवहार वाद के प्रचलन दौरान गुलाब सिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि तहसीलदार खरई बंटवारा आदेश दिनांक 8–1–98 में गुलाब सिंह को बटवारा में प्राप्त भूमि में से दी जावे। अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा आदेश दिनांक 15–11–2001 गुलाबसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी साथ जवाहर सिंह द्वारा आदेश का पालन कराये जाने हेतु प्रस्तुत आपत्ति भी निरस्त कर दी गई।

7/ अनुविभागीय अधिकारी खुरई के आदेश दिनांक 15–11–2001 के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग के प्र0कं0 347/अ–27/2001–02 जवाहरसिंह विरूद्ध गुलाबसिंह फौत शेरसिंह बगैरह प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायलयीन आदेश दिनांक 15–5–2007 को संक्षिप्त रूप से निरस्त कर दी गई। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि वादग्रस्त पैतृक भूमि के स्वत्व एवं बटवारा प्रकरण व्यवहार न्यायालय खुरई लंबित दौरान हिस्सेदार गुलाबसिंह द्वारा भूमि विक्रय की गई थी जबकि गुलाबसिंह को सिविल न्यायालय के निर्णय पश्चात बटवारा में जो भूमि गुलाबसिंह को हिस्से में प्राप्त हुई है। वही भूमि गुलाबसिंह को हिस्से में प्राप्त हुई है। गुलाबसिंह के हिस्से की भूमि केतागण प्राप्त करने के अधिकारी है। निगरानीकर्ता जवाहरसिंह के हिस्से की बंटाकित भूमि केता/प्रतिनिगरानीकर्तागण कं 1 लगायत 5 प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं रखते है। उपरोक्त स्थिति में निगरानीकर्ता को प्रथम बटवारा आदेश

दिनांक 8–1–98 में प्राप्त भूमि निगरानीकर्ता के हिस्से की मान्य कर निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

8/ प्रतिनिगरानीकर्तागण के अधिवक्ता का तर्क है कि गुलाबसिंह से कय भूमि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की है। रजिस्टर्ड विकय पत्र में उल्लेखित भूमि निगरानीकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक रूप से देकर आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

9/ उभय पक्ष के तर्कों को श्रवण किया गया रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तहसीलदार खुरई के प्र0कं0 3/अ–27/97–98 में पारित आदेश दिनांक 8–1–98 प्रथम बटवारा आदेश नियमानुसार पाने से स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी खुरई का आलोच्य आदेश दिनांक 12–10–1998 तथा वादउत्तर आदेश तहसीलदार खुरई के आदेश दिनांक 8–6–99 अनुविभागीय अधिकारी खुरई का आदेश दिनांक 15–11–2001 एवं अपर आयुक्त सागर के निगराकृित आदेश दिनांक 15–1–2007 निरस्त किये जाते हैं। निगरानी स्वीकार की जाती है तथा रिकार्ड तहसीलदार खुरई के प्रं0 कं0 3/अ–27/97–98 में पारित आदेश दिनांक 8–1–98 के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। उभय पक्ष सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय भेजी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य

(7)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 1294–एक/07 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी0एस0 चाहान द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 8–2–17 में आदेश के पैरा 4 की तीसरा लाइन में बटवारा शब्द के स्थान बंअवारा, 12 वीं लाइन में सद्भाविक के स्थान पर सत्यविय, पैरा 6 की 5 वीं लाइन में कॉस के स्थान पर कष्स टाइप हो गया है, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है । अतः न्यायहित में यह आदेश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 8–2–17 में आदेश के पैरा 4 की तीसरी लाइन में बंअवारा शब्द के स्थान पर बटवारा, 12वीं लाइन में सत्यविय के स्थान पर सद्भाविक तथा आदेश के पैरा 6 की 5 वीं लाइन में कष्स के स्थान पर कॉस शब्द पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । सदस्य	